राष्ट्रीय ग्रामीण एवं स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़
(राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, रायपुर छत्तीसगढ़)
एल.आई.सी.भवन, चतुर्थ एवं पंचम तल, व्यावसायिक परिसर, फेस-2,
जीवन बीमामार्ग, न्यू बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़,
टेलीफोन नंबर 0771-4079200, फैक्स-4079255,
www.cghealth.nic.in

क./NRHM/HR/2013/CNS-1224/1873 रायपुर, दिनांक 23/01/2013

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिन्हांकित RMA के संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु पदों का विवरण :-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त	अनारक्षित		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
			मुक्त	म.	मुक्त	म.	मुक्त	म.	मुक्त	म.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rural Medical Assistant (ग्रामीण चिकित्सा सहायक)	27	8	3	3	1	2	1	6	3

1 पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, तदनुसार आरक्षण रोस्टर में भी परिवर्तन होगा ।
2 इन पदों पर महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम/शर्तें लागू होंगी ।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश –

1. अर्हता :-
   - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा(बायोलॉजी विषय के साथ) तथा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से "प्रेक्टिशनर इन माडर्न एण्ड होलिस्टिक मेडिसिन" का डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है ।
   - अभ्यर्थी का "प्रेक्टिशनर इन माडर्न एण्ड होलिस्टिक मेडिसिन" का छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल के अधीन पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
2. **संविदा मानदेय** :- आर.एम.ए. हेतु प्रतिमाह रूपये 15000/- (अक्षरी-पंद्रह हजार रूपये मात्र) एकमुश्त देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
3. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी ।
4. **आयु सीमा** :- 1 जनवरी 2013 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। यह नियुक्ति छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-9-1/2004/1/3, दिनांक 28.07.2004 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी। एवं अ.जा/अज.जा./अ.पि.व./महिला उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा प्रावधानित आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
5. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को (आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में) सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा ।
6. छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगें।

8. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा।

9. यह नियुक्ति संविदा आधार पर दिनांक 31 मार्च 2013 तक के लिए की जावेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सेवा अवधि मे वृद्धि की जा सकेगी ।

10. चयनित किये गये कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी। तथा कर्मचारी एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का वेतन जमा कर स्वंय सेवा समाप्त कर सकता है।

11. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में नियुक्ति निरस्त हो जायेगी।

12. आवेदकों को छ.ग. का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। छ.ग. का स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।

13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र एवं उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(टीप :– स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होगे किन्तु उन्हें एक माह के भीतर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)

14. विज्ञापन में विज्ञापित को निर्धारित आर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेगे ।

15. एनआरएचएम अंतर्गत पूर्व से कार्यरत् अधिकारी /कर्मचारी का यदि विज्ञापन दिनांक तक त्याग पत्र स्वीकृत नहीं है, तो उन्हें उस पद हेतु अपात्र माना जावेगा।

16. जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन के अंतर्गत पूर्व से आर.एम.ए. के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत है वे आवेदक नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगें।

17. **चयन का आधार :–**

- आर.एम.ए हेतु निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों का चयन अभ्यर्थियों की प्रेक्टिशनर इन माडर्न एण्ड होलिस्टिक मेडिसिन का डिप्लोमा उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों (प्रथम, द्वित्तीय तथा तृतीय वर्ष के प्राप्तांकों के योग का कुल अंको से प्रतिशत) के प्रतिशत के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्यता सूची से मेरिट कम पर किया जावेगा ।
- प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक अलग–अलग मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
- मेरिट सूची विभाग के वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** में जारी की जावेगी।
- आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता अन्य आवश्यक प्रकिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी अनुसार मेरिट सूची जारी की जावेगी। गलत जानकारी दिये जाने पर आवेदन/चयन अमान्य किया जावेगा।
- आवेदन में प्रविष्टि के आधार पर आवेदको की पात्रता सूची तैयार की जायेगी लेकिन यह **Provisional** होगी कि वांछित दस्तावेज से मिलान एवं पुष्टि के उपरांत ही चयन की

पात्रता होगी और वांछित जांच उपरांत ही चयन सूची जारी होगी । किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी होने के आधार पर चयन निरस्त किया जा सकेगा ।

18. पदस्थापना:–

- ग्रामीण चिकित्सा सहायक की पदस्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य केन्द्रों में की जायेगी।

19. आवेदन के संबंध में –

- इच्छुक उम्मीद्वार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों के साथ दिनांक 02 फरवरी 2013 तक शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मिशन संचालक, एल.आई.सी.भवन, चतुर्थ एवं पंचम तल, व्यावसायिक परिसर, फेस–2, जीवन बीमामार्ग, न्यू बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर, को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किये जावेगें एवं विलंब से प्राप्त आवेदनों पत्रों पर (विलंब के कारण जो भी हो) मान्य नहीं किया जावेगा। लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी अंकित करना आवश्यक है ।
- विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय रायपुर के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

20. **RMA** के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 31 मार्च 2013 या नवीन भर्ती होने तक की रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदो को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जायेगा।
21. चयन प्रक्रिया एवं चयन संबंधी निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय अंतिम होगा।
22. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति को होगा जो सभी आवेदकों पर मान्य करने के लिए बंधनकारी होगा।

23-01-13

मिशन संचालक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर